राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर
जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांकःएफ.55( )डीएलबी / सीई / डब्ल्यूएस / कोरोना / 2021 / 118771–118984 दिनांकः 26/07/2021

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद् / पालिका,
समस्त राजस्थान

विषयः—वैश्विक महामारी कोविड–19 के प्रबन्धन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगरीय निकायों के कर्मचारियों को आगामी 15 अगस्त पर प्रशस्ति–पत्र प्रदान करने बाबत्।

संदर्भः—निदेशालय का पत्रांक 116031–244 दिनांक 15.07.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत समस्त निकायों द्वारा शहरी नागरिकों में इस महामारी से बचाव के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल की पालना हेतु जन जागृति पैदा करने एवं जन साधारण की सहायता करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्य किये जा रहे है। कोविड से संबंधित कार्य कोरोना जन जागरण व कोविड प्रोटोकॉल की पालना करवाने का कार्य संपादन समस्त निकायों के कर्मचारियों द्वारा अति संवेदनशीलता के साथ जिम्मेदारीपूर्वक वहन किया गया है एवं विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना की गई है जिसकी उच्च स्तरीय कोविड समीक्षा बैठको में भी सराहना की गई है।

अतः कोविड–19 के प्रबन्धन में कार्यरत समस्त निकायों के कर्मचारियों, विशेषकर अंतिम संस्कार में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को निकाय स्तर, पर ढंके एवं उपखण्ड स्तर, निदेशालय स्तर, जिला स्तर व राज्य स्तर पर आगामी 15 अगस्त, 2021 को प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के प्रस्ताव 03 दिवस में संबंधित कार्यालयों में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःएफ.55( )डीएलबी / सीई / डब्ल्यूएस / कोरोना / 2021 / 118985–119275 दिनांकः 26/07/2021

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त स्थानीय निकाय विभाग।
5. उपखण्ड अधिकारी, समस्त राजस्थान।
6. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक